

राजस्थान विधान सभा

द्वितीय सत्र

कार्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2009

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

**1. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन
का उपस्थापन एवं उस पर विचार**

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन

श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री -

I भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) ; एवं

II भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) ;

- सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन

- 1- श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन करेंगे ।
- 2- श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वर्ष 2009-2010 के लिये लेखानुदान (वोट ऑन अकाउण्ट) संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करेंगे ।

4. लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव का पारण

श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

5.विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग
(लेखानुदान) (संख्या-3)
विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-12)

"वित्तीय वर्ष 2009-2010 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।
(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

6. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2008-2009 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन, मतदान एवं पारण

- (अ) श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वर्ष 2008-2009 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करेंगे ।
(ब) राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2008-2009 (द्वितीय संकलन) मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर एक साथ मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेगी ।

7.विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-2)
विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-11)

"वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।
(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

8.विधायी कार्य

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुनःप्रवर्तन) विधेयक, 2009

- (I) श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री राधेश्याम गंगानगर, डॉ0 दिगम्बर सिंह, श्री जानदेव आहूजा, श्री रोहिताश्व कुमार, डॉ0 जसवन्त सिंह यादव, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान नगरपालिका विधियां
(निरसन और पुनःप्रवर्तन)
अध्यादेश, 2009
(2009 का अध्यादेश संख्या-1)

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2009 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुनःप्रवर्तन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-1) को अस्वीकार करता है।"

- (II) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरपालिका विधियां
(निरसन और पुनःप्रवर्तन)
विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-13)

"राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 को निरसित करने और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 को पुनःप्रवर्तित करने और उससे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 25 फरवरी, 2009